न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 09 / 2021

राधेश्याम पुत्र फतेहचन्द जाति वैश्य निवासी जटमासी रोड रूपवास जिला भरतपुर ।

बनाम

प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलैक्ट्रेट भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 19.02.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राधेश्याम पुत्र फतेहचन्द जाति वैश्य निवासी जटमासी रोड रूपवास जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 24.12.2020 प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलैक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/111 दिनांक 01.02.202 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलैक्ट्रेट भरतपुर के पत्र कमांक 08 दिनांक 15.02.2021 से जबाव प्राप्त हुआ, जो संलग्न मिसिल है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलैक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट द्वारा प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलैक्ट्रेट भरतपुर से उक्त सूचनांऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया। प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलैक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाव में अंकित किया है कि "अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। प्रार्थना पत्र प्राप्त होते ही आवेदक को सूचना उपलब्ध करा दी जावेगी"। इसके विपरीत अपीलान्ट के अपील आवेदन के साथ जिला अभिलेख अधिकारी, किशोरी महल भरतपुर को सम्बोधित रजिस्टर्ड लिफाफे पर तामील कुनिन्दा ने स्पष्ट रिपोर्ट अंकित की है कि " किशोरी महल में लेने से मना किया। अतः वापिस। " स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा सूचना हेतु लोक सूचना अधिकारी को रजिस्टर्ड पत्र भेजा गया है किन्तु वहां ... लेने से इन्कार कर दिया है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्रांक 111 दिनांक 01.02.2021 के साथ अपील आवेदन जिसमें प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य अंकित है, प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलैक्ट्रेट भरतपुर को भेजा गया है। इसके उपरान्त भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को सूचना उपलबध नहीं कराई गई है। जाहिर है कि प्रभारी अधिकारी, जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Dider
Date: 2021.02.26 16:18:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

लेखागार, कलैक्ट्रेट भरतपुर द्वारा अपीलान्ट को चाही गई सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलैक्ट्रेट भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलैक्ट्रेट भरतपुर को पालनार्थ भेजी जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को भी प्रेषित हो।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:18:40 IST
Reason: SelfAttested